

फर्द अहकाम

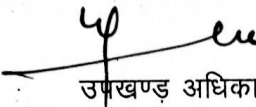
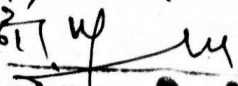
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 182/2023
Online No. 2023/273

उनवान

श्री... किसान सिंह शतगवन बनाम श्री... माखाना जट
... 150 पक्षडी ... 150 तरवारिया

धारा 111-128 प्रारोपत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17/5/23	बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/6/23 ... को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
13/6/23	पत्रावली पेश हुनी, जर्जरी हाथियवन्त उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तारीख के अनुपस्थित बार-बार कवाले पिलवई गई, उनके बावजूद भी जर्जरी नही होने के एक तरफ कार्यवाही अगल में लानी जाती है। जर्जरी हाथियवन्त की एक तरफ बावजूद हुनी जाती, काले: जर्जरी का जर्जरी पत्र अज्ञाति ब्यान्ग 111-128 12 महीने की अवधि में जाय है विजिम्हवाले के लिख जर्जरी बावजूद दताका जर्जरी कालि जर्जरी जर्जरी, पत्रावली केवल जर्जरी के ली वाविल परत हो।  उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
182 / 2023

दायर दिनांक
17.05.2023

निर्णय दिनांक
13.06.2023

अनवान

1. किशनसिंह पुत्र श्री रामेश्वर सिंह जाति शक्तावत निवासी पालड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज0

प्रार्थी

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र रामेश्वर जाट जाति जाट, निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. लादी पत्नी रामेश्वर जाट जाति जाट, निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. जगदीश पुत्र नन्दराम जाट जाति जाट, निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. धुकल पुत्र गोकुल माली जाति माली, निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. उदयलाल पुत्र भैरू लाल माली जाति माली, निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. गणेश पुत्र भैरूलाल माली जाति माली, निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. धापू पत्नी मांगीलाल जाट जाति जाट, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता उदय सिंह चारण - प्रार्थी
एक तरफा- अप्रार्थीगण

-:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम ::-

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम तस्वारिया, पटवार हल्का पालड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2075-78 के नये खाता संख्या 34 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 640 रकबा 0.0759 है0, आराजी सं. 641 रकबा 0.1265 है0, आराजी सं. 642 रकबा 0.8978 है0, आराजी सं. 643 रकबा 0.3288 है0, आराजी सं. 644 रकबा 0.1138 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5428 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है तथा विपक्षीगण प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पड़ोसी हैं। उक्त आराजी के कोई सीमा चिह्न नहीं होने से आये नि फसल बुवाई एवं कटाई के समय


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेड़ पाली व दरख्तान को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी आराजी सं. 640, 641, 642, 643, 644 कुल किता 05 कुल रकबा 1.5428 है० भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर-बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह-काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम तस्वारिया, पटवार हल्का पालड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2075-78 के नये खाता संख्या 34 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 640 रकबा 0.0759 है०, आराजी सं. 641 रकबा 0.1265 है०, आराजी सं. 642 रकबा 0.8978 है०, आराजी सं. 643 रकबा 0.3288 है०, आराजी सं. 644 रकबा 0.1138 है० कुल किता 05 कुल रकबा 1.5428 है० भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/-रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपसहस्र अधिकारी
भीलवाड़ा